संख्या-439/2020/584/22-2-2020-17(198)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेज बहादुर सिंह पुत्र श्री लाल बहादुर सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0बैठक-20-05-2020 दिनांक 15-06-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेज बहादुर सिंह पुत्र श्री लाल बहादुर सिंह, लखनसेनपुर, थाना-लालगंज, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी व उसके दो सहअभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग किये जाने के कारण दिनांक 06.03.2000 को संदिग्ध परिस्थितियों में बहू और बहू की पुत्री की जलने के कारण मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-683/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302, 498ए, 201 व 4डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 15.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.11.2019 तक 10 वर्ष, 06 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी तेज बहादुर सिंह पुत्र श्री लाल बहादुर सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-439/2020/584(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in